BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 12 फरवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट व गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त रतन सिंह पुत्र विजयपाल निवासी खान कटीरी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2009 में संगठित गिरोह बनाकर लूट जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 15.01.2009 को थाना नरसैना पर मुअसं- 04/09 धारा- 392/411 भादवि व 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.09.2009 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 12.02.2025 को न्यायाधीश श्री चन्द्र विजय श्रीनेत (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रतन सिंह को 02 वर्ष का कारावास व 09 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।